# सम्पदा कार्यालय ESTATE OFFICE भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY रूड़की/ROORKEE

No. Estate office/E-50/A-24(2024/I-A)/3935

Date: 6 December, 2024

## **NOTICE**

# रूड़की परिसर आवास ROORKEE CAMPUS RESIDENCES

टाइप 'ए'—1 (पे लेवल—13 एवं उससे अधिक) TYPE 'A'-1 (PAY LEVEL - 13 AND ABOVE)

Sl. No.	Residence No. and Location आवास संo एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास संo एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास संo एवं अवस्थिति
1.	डी-12, हिल व्यू अपार्टमेंट्स D-12, Hill View Apartment	2.	बी—202, शिवालिक अपार्टमेंट्स B-202, Shivalik Apartment	3.	सी–301, शिवालिक अपार्टमेंट्स C-301, Shivalik Apartment
4.	205 / 4, सरस्वती कुंज <b>205/4, Saraswati Kun</b> j		3	-L	

टाइप 'ए'—2 ( पे लेवल—10 से लेवल—12 तक) TYPE 'A'-2 ( PAY LEVEL - 10 TO LEVEL - 12)

SI. No.	Residence No. and Location आवास संo एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं० एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास संo एवं अवस्थिति
1.	133 / 3, विकास नगर 133/3, Vikas Nagar	2.	**140 / 3, विकास नगर 140/3, Vikas Nagar	3.	**140 / 4, विकास नगर 140/4, Vikas Nagar
4.	163 / 3, विकास नगर <b>163/3, Vikas Nagar</b>	5.	**163 / 6, विकास नगर 163/6, Vikas Nagar	6.	164/3, विकास नगर <b>164/3, Vikas Nagar</b>
7.	**166 / 4, विकास नगर 166/4, Vikas Nagar	8.	214/5, सरस्वती कुंज 214/5, Saraswati Kunj	9.	5/3, नीति नगर 5/3, Niti Nagar
10.	5 / 4, नीति नगर 5/4, Niti Nagar	11.	**31 / 4, नीति नगर 31/4, Niti Nagar	12.	सी–402, कैनाल व्यू अपार्टमेंट C-402, Canal View Apartments
13.	सी–501, कैनाल व्यू अपार्टमेंट C-501, Canal View Apartments	14.	#73/3, गोविंद पुरी 73/3, Govind Puri	15.	#73/4, गोविंद पुरी 73/4, Govind Puri

# उक्त आवास में प्राथमिकता केवल संस्थान चिकित्सलाय के स्टाफ को दी जाऐगी। Priority will be given to the staff of Institute Hospital for this house.

# सहारनपुर परिसर आवास Saharanpur campus Residences

टाइप 'ए'-1 ( पे लेवल-13 एवं उससे अधिक) TYPE 'A'-1 ( PAY LEVEL - 13 AND ABOVE)

A-703, Triveni Apartment

अवस्थिति No	. आवास सं0 एवं अवस्थिति	No.	आवास सं० एवं अवस्थिति
मेंट partment	*ए-701, त्रिवेणी अपार्टमेंट A-701, Triveni Apartment	3.	ए-702, त्रिवेणी अपार्टमेंट A-702, Triveni Apartment
-	artment 2.	artment A-701, Triveni Apartment	artment A-701, Triveni Apartment

16/12/29

Asonja 16/12/24 16.12.24

#### TYPE 'A'-2 (PAY LEVEL - 10 TO LEVEL - 12)

SI.	Residence No. and Location	Sl.	Residence No. and Location	Sl.	Residence No. and Location
No.	आवास संo एवं अवस्थिति	No.	आवास संo एवं अवस्थिति	No.	आवास संo एवं अवस्थिति
1.	**ए-1 / 02 A-1/02	2.	**ए−1 / 07 A-1/07	3.	ए−1 ∕ 08 <b>A-1/08</b>

\* ये आवास पहले ही तीन बार 'ए-1' टाइप में विज्ञापित किया जा चुका हैं, किन्तु उक्त आवासो हेतू किसी ने आवेदन नहीं दिया है। यदि 'ए-1' टाइप आवासो हेतु अर्ह स्टाफ के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उक्त आवासों को आवास आवंटन समिति–प्रथम द्वारा 'ए-2' टाइप हेतु अर्ह स्टाफ सदस्यों को आवंटित किया जा सकता है। 'ए-2' टाइप हेत अर्ह स्टाफ सदस्य भी उक्त आवासो हेत आवेदन कर सकते है।

\*These residences have already been advertised three times in 'A-1' type, but no one applied for this, if request of staff entitled for 'A-1' type is not received for this residence, the residence can be allotted to a staff member entitled for 'A-2' type by the House Allotment Committee-I. Staff members entitled for 'A-2' type are eligible to apply for these houses.

\*\* ये आवास पहले ही तीन बार 'ए-2' टाइप में विज्ञापित किये जा चके है।

\*\* These residences have already been advertised three times in 'A-2' type,

# नियम व शर्तैः

### **Terms & Conditions:**

रुड़की परिसर में सेवारत संकाय सदस्य / समूह 'ए' स्टॉफ के सदस्य रुड़की परिसर में निवास के लिए पात्र होगे। इसी प्रकार, सहारनपर परिसर में सेवारत समृह 'ए' स्टाफ का सदस्य सहारनपर परिसर में निवास के लिए पात्र होगे।

A member of Faculty/Group 'A' Staff serving at Roorkee campus shall be eligible for a residence in the Roorkee Campus. Similarly, a member of Group 'A' Staff serving at Saharanpur campus shall be eligible for a residence in the Saharanpur Campus.

आवेदकों से अनुरोध है कि वे (विज्ञापन में संलग्न) आवेदननिर्धारित प्रारूप पर नवीनतम वेतन पर्ची के साथ ऑनलाइन ( https://haa.iitr.ac.in/ ) जमा करें।

Applicants are requested to submit their applications online ( https://haa.iitr.ac.in/) along with the latest salary slip.

आवास आवंटन समिति–प्रथम की बैठक दिनांक 12.09.2022 के निर्णय के अनुसार 'ए-2' प्रकार के आवासों के लिये गैर-शिक्षण अधिकारियों को 20% आरक्षण दिया जायेगा।

As per the decision of HAC-I in its meeting held on 12.09.2022, the reservation for Non-Teaching Officers in A-2 Type residences will be 20%.

आवेदन-पत्र ऑनलाइन जमा (submit) करने और वापस लेने की अंतिम तिथि 27.12.2024 शाम 05:00 बजे तक है। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जायेगा।

The last date and time to submit the online application to withdraw the application is the same i.e. 27.12.2024 till 17:00 Hrs., thereafter, the link will get disabled.

- आवासों की प्रत्येक टाइप के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा अलग–अलग आवेदन भेंजे जाने चाहिए। 5 Separate applications should be sent by the applicants for each type of residence.
- (i) उन आवेदको के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा, जो लंबी छूट्टी पर है, और उनके छ: माह के अंदर पुन: कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है।

Applications from those applicants, who are on long leave and are likely to re-join his/her duties within 6 months, will also be

(ii) वे आवेदक जो प्रतिनियुक्ति / ग्रहणअधिकार पर है, तथा जिन्हे अवकाश अवधि के दौरान संस्थान आवास को रखने की अनुमति दी गई है, इस विज्ञापन के माध्यम से अन्य संस्थान आवास के लिये आवेदन कर सकते है। इस प्रकार वे अपने पहले आवास को शेष अवकाश अवधि के लिये बदल सकते है।

For the employees, who are on the deputation/lien and have been permitted to retain the Institute residence while being on leave, may apply for a residence against this advertisement. In this way, they may change the retained residence for the remaining duration of their leave, for which they have been permitted to retain the residence.

एक ही टाइप में, आवास के नवीन आवंटन हेतू, किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, जो पूर्व आवास में कम से कम दो वर्ष तक न रह चुका हो (एच.ए.आर 4.7.1)

No person shall be considered for a fresh allotment as well as of residence in the same type unless he has completed at least two year stay in the previous residence (HAR 4.7.1).

500 / 15/12/24 \$ 16/12/2M

Page 2 of 4

8. आई.आई.टी.रूड़की के आवास आवंटन नियम हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर देखे जा सकते हैं। <a href="https://www.iitr.ac.in/estateworks/rules/Revised House Allotment Rules HAC-I and HAC-II.pdf">https://www.iitr.ac.in/estateworks/rules/Revised House Allotment Rules HAC-I and HAC-II.pdf</a>

The house allotment rules of I.I.T. Roorkee may be seen on our website on the link below. https://www.iitr.ac.in/estateworks/rules/Revised\_House\_Allotment\_Rules\_HAC-I\_and\_HAC-II.pdf

9. आवंटित किए गये आवास का, उसी स्थिति में कब्जा लेना होगा, जैसा कि वह हो। आवंटित आवास का कब्जा न लेने वाले व्यक्ति को, किसी भी मानक आवास (नॉन ट्रॉजिट एकोमोडेशन) हेतु आवंदन करने से, कब्जा लेने हेतु आवंटी को दी गयी अंतिम तिथि से, आगामी दो वर्ष के लिए, वर्जित कर दिया जाएगा (एच.ए.आर. 5.0)।

The residence once allotted must be occupied in the condition as they are. Persons not occupying the allotted residence shall be debarred from applying for any standard residence (non-transit accommodation) for the next two years from the last date given to the allot for occupying the allotted residence (HAR 5.0).

- किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
   No conditional applications will be considered.
- 11. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
  Incomplete applications forms will not be considered for allotment.
- 12. संस्थान का कोई कर्मचारी अपने समूह के अर्ह टाइप से निम्न टाइप के आवास में केवल तभी आवेदन कर सकता है, यदि वह कर्मचारी निम्न टाइप के आवास में रह रहा हो या वो संस्थान आवास के लिये प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं (एच.ए.आर 2.1)।

  An employee can apply for a lower type of house of the same group other than his entitled type only if he is living in lower type of house or applying for the Institute house for the first time (HAR 2.1).
- 13. कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी अर्ह टाइप के मकान में रह रहा हो उसे किसी नीचे टाइप के मकान में आवेदन हेतु अनुमित नहीं दी जाएगी।
  A person living in a house of his entitled type will not be permitted to apply for a house of a lower type.
- 14. आवेदकों से, आवेदन के पूर्व, आवास के भौतिक रूप से निरीक्षण किए जाने का निवेदन है। केवल सुरक्षा संबंधी, छोटी—मोटी मरम्मत तथा पुताई, रंगाई / रोगन ही, यदि बकाया (िडयू) हो तो, वहां स्थानांतरण होने से पूर्व किए जाएंगे। आवेदक निरीक्षण हेतु संबंधित जोन के अवर अभियंता से नीचे दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क कर सकते है:

Applicants are requested to inspect residences physically before applying only safety-related repairs, patch repairs and white washing, colour washing /painting, if due, will be done before shifting. For Inspection applicant can contact the JE of the respective Zone on the contact number given below:

S.N	Zone	AE/JE Name	Mobile No.	Area	
1.	A	Mr. Nishant Kumar	Mr. Nishant Kumar  9690148344 9012881201  Vikas Nagar, River View Apartments		
2.	В	Mr. Brijesh Pandey	8860306066	Saraswati Kunj	
3.	D	Mr. Ravi Kant Goel	9758519617	Hill View Apt., Shivalik Apt., Govindpuri	
4.	Е	Mr. Deepak Kumar	8006349409	9 Niti Nagar, Ravindra Lok	
5.	SRE. Campus	Mr. Praveen Saini	9012912070	Triveni Apartment, Saharanpur Campus	

# रूड़की परिसर Roorkee Campus

Sl. No.	Garage No. गैराज संo	Sl. No.	Garage No. गैराज सo	Sl. No.	Garage No. गैराज संo
1.	आई जी—54, रवींद्र लोक	2.	आई जी–40, विकास नगर	3.	आई जी–45, विकास नगर
1.	IG-54, Ravindra Lok	2.	IG-40, Vikas Nagar	3.	IG-45, Vikas Nagar
4.	आई जी–9, सरस्वती कुंज	5	आई जी–17, सरस्वती कुंज	6	आई जी–43डी, सरस्वती कुंज
	IG-9, Saraswati Kunj	5.	IG-17, Saraswati Kunj	6.	IG-43D, Saraswati Kunj
7 51	आई जी–43एच, सरस्वती कुंज	0	आई जी–43आई, सरस्वती कुंज	0	आई जी–43जें, सरस्वती कुंज
Soil	IG-43H, Saraswati Kunj	8.	IG-43I, Saraswati Kunj	9.	IG-43J, Saraswati Kunj

16/R/M

Howyr 16/12/an

16.12.24

## सहारनपुर परिसर SAHARANPUR CAMPUS

जी—01	जी—02	जी—03	जी—04	जी-05	जी-06	जी—07
G -01	G -02	G -03	G -04	G -05	G -06	G -07
जी—08	जी—09	जी—11	जी—14	जी—15	जी—17	
G -08	G -09	G-11	G -14	G -15	G-17	

### नियम व शर्तैः-

### Terms & Conditions:-

1. यदि आवेदक गैराज के लिए आवेदन कर रहा है, तो आवेदक के पास अपने अथवा पत्नी / पित के नाम कार अवश्य होनी चाहिए (वाहन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए ), तथा इसके लिए आवेदन पत्र के साथ प्रामाणिक प्रलेख—पत्र (डाक्यूमेंट्री प्रूफ) सलंग्न किया जाये HAR 10.1(a)।

The applicant for the allotment of a garage should own a car (Car No. should be given) in own/spouse name for which documentary proof is to be attached with the application form HAR 10.1(a).

- 3. आवास आवंटन के लिए विरिष्ठता के अनुरूप ही गैराज का आवंटन किया जायेगा । आवासीय पिरसर के अंतर्गत गैराज होने की स्थिति में, उस गैराज का आवंटन संबंधित आवास के आवंटी को किया जाएगा, चाहे असके पास कार हो अथवा न हो HAR 10.1(B)। The allotment of a garage will be made as per the seniority for house allotment. The garages inside a residential campus shall be allotted to the allottee of that residence irrespective of whether he/she owns a car or not HAR 10.1(B).
- 3. केवल एक जोन के गैराजों से दूसरे जोन के गैराजों के आवंटन में परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थनाओं पर विचार किया जाएगा। Requests for a change will be entertained only from one zone of garages to the other.
- 4. किसी विशेष जोन के गैराज के आवंटन हेतु वरीयता उस जोन के अंतर्गत आने वाले आवासी को दी जायेगी (एच.ए.आर 10.5)। Preference for a garage in a particular zone will be given to the resident of that zone HAR 10.5.
- 5. आवेदकों से अनुरोध है कि वे (विज्ञापन में संलग्न) आवेदन निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम वेतन पर्ची के साथ ऑनलाइन ( <a href="https://haa.iitr.ac.in/">https://haa.iitr.ac.in/</a>) जमा करें।

Applicants are requested to submit their applications online ( https://haa.iitr.ac.in/) along with the latest salary slip.

6. आवेदन—पत्र ऑनलाइन जमा (submit) करने और वापस लेने की **अंतिम तिथि 27.12.2024 शाम 05:00 बजे** तक है। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जायेगा।

The last date and time to submit the online application as well as to withdraw the application is the same i.e. 27.12.2024 till 17:00 Hrs., thereafter, the link will get disabled.

7. किसी गैराज का आवंटन हो जाने की स्थिति में, उस गैराज को उसकी वर्तमान हालत में ही ग्रहण करना होगा। आवंटन हो जाने की स्थिति में यदि किसी आवंटी व्यक्ति द्वारा गैराज का आवंटन ग्रहण नहीं किया जाता तो इस बार के आवंटन—ग्रहण की अंतिम तिथि से लेकर अगले एक वर्ष तक के लिए उस व्यक्ति को आवंटन के नए आवंदन से वंचित कर दिया जाएगा (एच.ए.आर 10.8)। आवंटन के लिए अपूर्ण आवंदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Garages once allotted must be occupied in the condition as they are. Persons not occupying the allotted garages shall be debarred from applying for fresh allotment for the next one year (HAR 10.8) from the last date given to the allottee for occupying the garage allotted. Incomplete application form will not be considered for allotment.

8. आई.आई.टी.रूड़की के आवास / गैराज आवंटन नियम हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर देखे जा सकते हैं।

Revised House Allotment Rules HAC-I and HAC-II1.pdf (iitr.ac.in)

The house/garage allotment rules of I.I.T.Roorkee may be seen on our website on the link below. Revised House Allotment Rules HAC-I and HAC-II1.pdf (iitr.ac.in)

- 9. किसी शर्त के साथ किये गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। No conditional applications will be considered.
- अपूर्ण आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
   Incomplete applications forms will not be considered for allotment.

सहायक कुलसंचिव (सम्पदा)

Assistant Registrar (Estate)

Assistant Registrar सम्पदा/Estate

भा0 प्री0 सं0 रुड़की/I.I.T. Roorkee

Copy to: -

- 1. Channel i
- 2. faculty-notices@iitr.ac.in
- 3. groupa-notices@iitr.ac.in

16/12/m